धारा 6–ए – आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रकरण सं0 104/2018(RCMS No. : 2018/00210) अनवान सरकार बनाम कासीराम पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति जाट उम्र 28 साल निवासी 15 एसजीआर, पुलिस थाना सूरतगढ सदर

20.02.2019

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण कासीराम पुत्र पृथ्वीराज व वाहन स्वामी हंसराज पुत्र पृथ्वीराज की ओर से श्री आनन्द व्यास, अभिभाषक उपस्थित है एवं विभागीय प्रतिनिधि के रूप में श्री सुरेश कुमार, प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, श्रीगंगानगर उपस्थित है और उनके द्वारा डीजल के बाजार मूल्य सम्बन्धी प्रतिवदेन पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विभागीय प्रतिनिधि का कथन है कि दिनांक 04.04.2018 को 1:30 पीएम बजे आईपीएस मृदुल कच्छावा, सहायक पुलिस अधीक्षक, सूरतगढ, मय श्री संजय कानि नं 1284 मय अशोक कुमार कानि 261 जरिये बोलेरो जीप सरकारी नम्बर आरजे 13 यू ए 5711 गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर कि कासीराम पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति जाट निवासी 15 एसजीआर, सूरतगढ का रहने वाला है और मानकसर चौक, सूरतगढ पर किराये की दुकान ली हुई है और उनके द्वारा पंजाब से अवैध डीजल लाकर बेच रहा है। उक्त इतला की तस्दीक हेतु श्री अशोक कुमार कानि 261 को बोगस ग्राहक बनाकर सादा वर्दी में 300 रूपये नगदी में 200/– रूपये का नोट नम्बर 7 सी आर 518164 एवं 100/– रूपये का नोट नम्बर 3 एएन 794532 उक्त सहायक पुलिस अधीक्षक द्वारा लघु हस्ताक्षर करके 5 लीटर डीजल उक्त दुकान से खरीदकर लाने हेतु भेजा गया ओर उनके द्वारा बोगस ग्राहक को हिदायत दी गई कि इतला की तस्दीक होने पर उन्हें अवगत करवाया जावे। जिस पर श्री अशोक कुमार, कानि 261 के साथ उक्त सहायक पुलिस

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अधीक्षक व अन्य जाब्ता के साथ उसके पीछे रवाना होकर मानकसर चौराहे पर पहुंचे तो 2:00 पीएम पर श्री अशोक कुमार, कानि 261 जिसे बोगस ग्राहक बनाम भेजा गया था, ने वापिस आकर अवगत करवाया कि अप्रार्थी कासीराम द्वारा अवैध रूप से डीजल बेचा जा रहा था और उसने 60/— प्रति लीटर के हिसाब से 300/— रूपये का 5 लीटर डीजल खरीद कर लाना बताया व कासीराम के पास दुकान में व दुकान के आगे खड़ी बोलेरो कैम्पर गाड़ी में काफी डीजल होना बताया। इसलिए बोगस ग्राहक द्वारा दी गई सूचना की पुष्टि की जानी आवश्यक है जिस हेतु उक्त वाहन व दुकान को चैक करने के लिए वारंट प्राप्त करने में समय लगने के कारण कासीराम द्वारा अवैध डीजल को खुर्दबुर्द करने का अन्देशा होने के कारण, त्वरित कार्यवाही आवश्यक होने पर सहायक पुलिस अधीक्षक अन्य मुलाजमान के साथ काशीराम की दुकान पर 2:30 बजे पहुंचे और कासीराम की दुकान जिसका मुख्य गेट पश्चिम दिशा की तरफ है और उस दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला एवं दुकान में प्लास्टिक के 12 ड्रम व डीजल नापने के उपकरण जिनमें ड्रम में से डीजल निकालने के लिए 2 पम्प एवं लोहे की तीन बड़ी नाप 10 लीटर की, दो नाप 5 लीटर की, एक नाप 2 लीटर की, एक नाप 01 लीटर की है और दुकान के आगे एक बोलेरो कैम्पर गाडी नम्बर आरजे 13 जीसी 0032 रंग भूरा (कोकाकोला रंग) की गाड़ी खड़ी है। और बोलेरों कैम्पर गाडी में पीछे के डाला में चार प्लास्टिक के तीन नीले रंग के व एक हरे रंग का ड्रम रखा हुआ है।

उनका यह भी कथन है कि दुकान में बैंठे व्यक्ति से नाम, पता पूछा तो उसने अपना नाम कासीराम पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी 15 एसजीआर पुलिस थाना सूरतगढ बताया जिसे मन आईपीएस द्वारा मुखबिर की इतला से अवगत करवाते हुए डीजल खरीद करवाने बताया व कासीराम से प्लास्टिक के ड्रमों बाबत पूछा तो ड्रमों में डीजल भरा होना

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

बताया एवं दुकान के अन्दर 12 प्लास्टिक के ड्रम रखे हुए है जिनमें 1 ड्रम में करीब 30 लीटर डीजल व इसी ड्रम के पास ही 60—60 लीटर के दो नीले रंग के जरिकेन जो डीजल से भरे हुए है एवं शेष 11 ड्रम खाली है एवं दुकान के काउण्टर पर भी एक रजिस्टर मिला जिसको चैक किया गया तो उसमें डीजल बिक्री के सम्बन्ध में हिसाब किताब लिखा हुआ मिला।

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त कासीराम से डीजल के बारे में पूछा तो कासीराम ने पंजाब से डीजल लाकर यहां बेचना बताया और इसके सम्बन्ध में कासीराम से अनुज्ञा पत्र/अधिकार पत्र के सम्बन्ध में पूछा तो उसने डीजल बेचने सम्बन्धी कोई अनुज्ञा पत्र/अधिकार पत्र होना नहीं बताया।

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त बोलेरों कैम्पर गाडी आरजे 13 जीसी 0032 के डाला में रखे उक्त चार ड्रमों में भरे हुए मिले और दुकान में भी 2 जरिकेन व 1 ड्रम, जिसमें डीजल भरा है मिले। इसप्रकार दुकान व वाहन से करीब 1030 लीटर डीजल जो अवैध रूप से बेचान के लिए रखा हुआ था, को जब्त किया गया और साथ ही बोगस ग्राहक श्री अशोक कुमार, कानि, 261 को दिए गए हस्ताक्षर शुदा 200/— रूपये का नोट नम्बर 7 सी आर 518164 एवं 100/— रूपये का नोट नम्बर 3 एएन 794532 भी कासीराम से जब्त किए गए।

उनका आगे यह भी कथन है कि चूंकि अपीलार्थी के पास उक्त दुकान व उक्त वाहन में रखे हुए जब्तशुदा डीजल के विक्रय के सम्बन्ध में कोई वैद्य अधिकार पत्र/अनुज्ञापत्र नहीं है जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी डीजल के अवैध कारोबार में लिप्त है। इसलिए उक्त डीजल मय वाहन आरजे 13 जीसी 0032 मय अन्य परिमाप आदि व डीजल के कारोबार के हिसाब किताब का रजिस्टर को जब्त किया जाकर प्रार्थी के विरूद्ध एफ.आई. आर. नम्बर 171/2018 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में दर्ज

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

कर तफ्तीस शुरू की गई और जांच से ये पाया कि अप्रार्थी के पास कोई डीजल को परिवहन करने, भण्डारण करने और कारोबार करने के लिए कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र/अधिकार पत्र नही है जिस कारण प्रार्थी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी आदेश मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल आदेश 2005 के क्लॉज 2(ग)(घ)(च)(द), 3(7) व 4 का उल्लंघन किया है एवं धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का भी उल्लंघन किया है। इसलिए अप्रार्थी कासीराम से जब्तशुदा 1030 लीटर डीजल मय गाडी कैम्पर आरजे—13 जीसी—0032 व दुकान से मिले डीजल के हिसाब किताब रजिस्टर व खाली ड्रम व डीजल मापने के परिमाप यंत्र आदि राजसात किया जावे।

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त जब्त शुदा वाहन आरजे—13 जीसी—0032 में 1030 लीटर डीजल अवैध रूप से परिवहन किया गया है इसलिए इसे माननीय माननीय उच्चतम न्यायालय के **न्यायिक दृष्टान्त कलक्टर गंजम व अन्य बनाम रमेश चन्द्र पांधी 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 के अनुसार वाहन राजसात** करने की दशा में वाहन के एवज में वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जावे और जुर्माना राशि अदा करने पर ही वाहन स्वामी को वाहन लौटाया जा सकता है।

इसके विपरीत अप्रार्थी कासीराम पुत्र पृथ्वीराज एवं वाहन स्वामी हसंराज पुत्र पृथ्वीराज की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री आनन्द व्यास, ने अपनी बहस में कथन किया है कि हसंराज वाहन स्वामी 820 लीटर डीजल अपने कृषि कार्य के लिए खरीद कर लाया था जबकि राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन और नियन्त्रण) आदेश, 1990 के तहत 1000 लीटर तक की छूट है और पैट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999 के तहत 2500 लीटर तक छूट है और अप्रार्थी हसंराज का उक्त दुकान के मामले से कोई लेना देना नहीं है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

इसप्रकार उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी आदेश/नियम की कोई अवहेलना नहीं की गई है। अतः उसके विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जावे।

उनका आगे यह भी कथन है कि कासीराम पुत्र पृथ्वीराज द्वारा दुकान में किसी प्रकार के डीजल की बिक्री नहीं की जा रही थी बल्कि उक्त **डीजल दुकान में जनरेटर वगैरहा चलाने के लिए रखा हुआ था** और जांच अधिकारी द्वारा जिस बोगस ग्राहक को भेजकर डीजल प्राप्त किया गया है उसके द्वारा डीजल विक्रय का कथन कर प्राप्त नहीं किया गया था बल्कि यह निवेदन किया गया था कि उसके वाहन में डीजल खत्म हो गया है एवं आपातकाल में थोडा डीजल दे देवें तो वह पेट्रोल पम्प तक पहुंच सकता है। इसलिए **5 लीटर डीजल अत्यधिक मात्रा में होने के कारण प्रार्थी द्वारा बोगस ग्राहक से डीजल की कीमत भावनात्मक रूप से ली गई है ना कि विक्रय करने के उद्देश्य से ली गई है।**

उनका आगे यह भी कथन है कि जिस समय बोगस ग्राहक द्वारा 60 रूपये प्रति लीटर के हिसाब से 5 लीटर डीजल खरीदना बताया जा रहा है उस समय डीजल की कीमत 68 रूपये प्रति लीटर थी एवं राजस्थान में 78 रूपये प्रति लीटर कीमत थी। ऐसी स्थिति में 60 रूपये प्रति लीटर के हिसाब से बोगस ग्राहक को डीजल विक्रय करने का कथन हास्यास्पद एवं तथ्यों के विपरीत हैं। केवल मात्र जांच अधिकारी द्वारा अन्डरट्रेनिंग में मुकदमा बनाने की नियत से यह कार्यवाही की गई है। जहां तक दुकान में उपकरण होने पाये जाने का सम्बन्ध है दुकान में जनरेटर आदि में डीजल नापकर ही डाला जाता है। अप्रार्थी कोई अवैध कारोबार नहीं करता है। इसलिए कार्यवाही समाप्त की जावे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें विभागीय प्रतिनिधि एवं अप्रार्थी कासीराम व हंसराज की ओर से उपस्थित अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं पुलिस विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए एवं उसके संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि इस मामले में मृदुल कच्छावा, आईपीएस सहायक पुलिस अधीक्षक, वृत सूरतगढ द्वारा दिनांक 04.04.2018 को अप्रार्थी कासीराम पुत्र पृथ्वीराज निवासी 15 एसजीआर, सूरतगढ की दुकान मानकसर चौराहा, सूरतगढ से बोगस ग्राहक की सूचना के आधार पर उक्त दुकान में डीजल के अवैध विक्रय की पुष्टि होने पर उक्त मानकसर चौराहे की दुकान व उसके आगे खड़े वाहन आरजे 13 जीसी 0032 की तलाशी लेने पर उक्त दुकान व वाहन में 1030 लीटर डीजल एवं डीजल के स्टॉक एवं अवैध रूप से बेचान आदि हिसाब किताब सम्बन्धी रजिस्टर मिला और डीजल मापने सम्बन्धी परिमाप आदि मिले एवं बोगस ग्राहक को डीजल क्रय कर लाने हेतु सहायक पुलिस अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षर शुदा 200/— रूपये का नोट नम्बर 7 सीआर 518164 एवं 100/— रूपये का नोट नम्बर 3 एएन 794532 कासीराम को दिए गए उक्त नोट भी मिले। अप्रार्थी कासीराम के पास उक्त डीजल को परिवहन करने, भण्डारण करने और कारोबार करने के लिए कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र/अधिकार पत्र नही है जिस कारण प्रार्थी ने मोटर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी आदेश मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल आदेश 2005 के 2(ग)(घ)(च)(द), 3(7) व 4 एवं धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन किया है और धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अप्रार्थी कासीराम के विरूद्ध अलग से एफआईआर ससंख्या 171/2018 के तहत कार्यवाही की जा रही है। इसलिए अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त आदेश **मोटर स्प्रिट और उच्च** वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचरण निवारण) आदेश 2005 के तहत जब्तशुदा डीजल राजसात करने की प्रार्थना की गई है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी कासीराम एवं वाहन स्वामी हसंराज पर ही था कि उसके द्धारा किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:—

> **"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"**

अप्रार्थी कासीराम पुत्र पृथ्वीराज व वाहन स्वामी हंसराज पुत्र पृथ्वीराज के द्वारा केवल अपने संयुक्त लिखित जवाब दिनांक 23.01.2019 के अलावा अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपने बचाव में पेश नहीं की है। जवाब में वाहन स्वामी हसंराज ने 820 लीटर डीजल क्रय कर लाना बताया है जो राज्य सरकार की निर्धारित छूट सीमा 1000 लीटर के तहत लाना बताया है और अप्रार्थी कासीराम ने अपने जवाब में ये कथन किया है कि उसने अपनी उक्त दुकान मानकसर चौराहे में जनरेटर वगैरहा चलाने के लिए डीजल रखा हुआ है और जनरेटर आदि में डीजल नाप कर डाला जाता है इसलिए उसने डीजल नापने के उपकरण भी रखे हुए है, और अपनी बहस में बचाव में यह तर्क दिया है कि राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन और नियन्त्रण) आदेश, 1990 के तहत 1000 लीटर तक की छूट है और पैट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999 के तहत 2500 लीटर तक छूट है इसलिए उनके द्वार किसी आदेश/नियम/कानून की अवहेलना नही की गई है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि हस्तगत प्रकरण अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त आदेश 1990 अथवा 1999 के आदेश की अवहेलना से सम्बन्धित नहीं है बल्कि उनके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(ग)(घ)(च)(द), 3(7) व 4 की अवहेलना का मामला है इसलिए उक्त 1990 अथवा 1999 के आदेश के प्रावधान हस्तगत प्रकरण में विचारणीय नहीं हो सकते। इसलिए हस्तगत प्रकरण में केवल मात्र यह देखना है कि क्या अप्रार्थी द्वारा मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(ग)(घ)(च)(द), 3(7) व 4 की कोई अवहेलना की गई है अथवा नहीं?

चूंकि अप्रार्थी कासीराम पुत्र पृथ्वीराज की मानकसर चौराहे पर स्थित दुकान एवं उसके आगे खडे वाहन कैम्पर गाडी आरजे—13 जीसी—0032 में कुल 1030 लीटर डीजल को अवैध रूप परिवहन करने, भण्डारण करने व बेचान करने के कारण सहायक पुलिस अधीक्षक, सूरतगढ द्वारा दिनांक 04.04.2018 को जब्त किया गया है और उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(ग)(घ)(च)(द), 3(7) व 4 की अवहेलना के कारण राजसात करने की प्रार्थना की गई है, ये क्लॉज निम्न प्रकार से है :

2(ग)	**'उपभोक्ता'** से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी तेल कम्पनी से या व्यौहारी से, जिसको किसी तेल कम्पनी द्वारा नियुक्त किया गया हो, उत्पाद क्रय करता है और उत्पाद का भंडार या उसका उपयोग अपने स्वयं के लिए करता है और इसके अन्तर्गत उसके प्रतिनिधि, कर्मचारी या अभिकर्त्ता भी है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

2(घ) **"व्यौहारी(Dealer)** से, मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल तेल का क्रय, ग्रहण, भंडार और विक्रय करने के लिए चाहे वह किसी अन्य कारबार के सहयोजन में हो अथवा नहीं, किसी तेल कम्पनी द्वारा सम्यक् रूप से नियुक्ति कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उसके प्रतिनिधि, कर्मचारी और अभिकर्त्ता भी है

2(च) **'अनाचार'(Malpractices)** के अन्तर्गत मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल की बाबत करने और लोप करने के निम्नलिखित कार्य होगे :

(i) अपमिश्रण (Adulteration),
(ii) भूषण (Pilferage),
(iii) स्टाक अन्तर (Stock Variation),
(iv) अप्राधिकृत विनिमय (Unauthorise Exchange),
(v) अप्राधिकृत क्रय (Unauthorise Purchase),
(vi) अप्राधिकृत विक्रय (Unauthorise Sale),
(vii) अप्राधिकृत कब्जा (Unauthorise Possession),
(viii) अतिप्रभार (Over-charging),
(ix) विनिर्देशगत उत्पादों का विक्रय (Sale of Off-Specification Product
(x) परिदान की कमी (Short Delivery)

2(द) **'अप्राधिकृत कब्जा'** (**Unauthorise Possession**) से इस आदेश के उपबंधों के उल्लंघन में मोटर स्प्रिट या उच्च वेग डीजल या किसी पेट्रोलियम उत्पाद या उसके मिश्रण का, संबंधित तेल कंपनी द्वारा जारी किए गए विधिमान्य विक्रय दस्तावेजों के बिना व्यौहारी या उपभोक्ता को अथवा सिकी अन्य व्यक्ति को उत्पाद का विक्रय अभिप्रेत है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

3(7) **उत्पाद का प्रदाय और परिवहन** : मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल का परिदान या विक्रय तेल कंपनी के व्यौहारी द्वारा केवल प्राधिकृत फुटकर पंप निकास केन्द्र से किया जाएगा।

4 **मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल के विपणन पर निर्बन्धन** : केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रधिकृत से भिन्न व्यक्ति मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल का उपभोक्ताओं या व्यवहारियों को विपणन और विक्रय नहीं करेगा।

चूंकि अप्रार्थी कासीराम की उक्त दुकान मानकसर चौराहे, सूरतगढ व उक्त दुकान के सामने खडे वाहन आरजे 13 जीसी 0032 से 1030 लीटर डीजल एवं डीजल के अवैध कारोबार सम्बन्धी रजिस्टर एवं डीजल मापने सम्बन्धी उपकरण आदि जब्त किए गए है और अप्रार्थी कासीराम के पास एवं वाहन स्वामी हंसराज के पास उक्त **मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के** तहत **धारा 2 के तहत कोई डीजल परिवहन/भण्डारण और डीजल का किसी** प्रकार से **कारोबार करने का कोई वैध अनुज्ञा पत्र/अधिकार पत्र नहीं है और न ही उनके द्वारा इस न्यायालय में ऐसा कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र/अधिकार पत्र पेश किया गया है।** उक्त अप्रार्थी कासीराम/वाहन स्वामी हसंराज किसी भी तेल कम्पनी के उपभोक्ता के रूप में या व्यौहारी (Dealer) **के रूप में भी नियुक्त नहीं है और न ही वह किसी कम्पनी के अभिकर्त्ता के रूप में अधिकृत है अतः उक्त आदेश 2005 के तहत डीजल का कारोबार करने के लिए कोई वैद्य अधिकार नही है।**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

इसप्रकार कासीराम के द्वारा वाहन स्वामी हसंराज के वाहन का भी अनाधिकृत रूप से डीजल का अवैध कारोबार में उपयोग किया गया है। इसलिए अप्रार्थी कासीराम की दुकान में जब्त किये गए उक्त डीजल के साथ साथ उक्त वाहन से भी जब्त किया डीजल एवं उक्त वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 0032 भी राजसात करने योग्य ठहरते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी कासीराम व वाहन स्वामी हंसराज के वाहन का डीजल के अवैध कारोबार में संलिप्त पाए जाने के कारण अप्रार्थी कासीराम एवं वाहन स्वामी हसंराज द्वारा **मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(ग)(घ)(च)(द), 3(7) व 4 की स्पष्ट अवहेलना होने के कारण** उक्त जब्तशुदा 1030 लीटर डीजल एवं वाहन संख्या आरजे 12 जीसी 0032 राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है और साथ ही धारा 6ए के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित जब्तशुदा डीजल मापने के उपकरण व खाली/भरे ड्रम आदि व डीजल क्रय विक्रय सम्बन्धी जब्त किया गया रजिस्टर भी राजसात किए जाते है।

चूंकि उक्त जब्त शुदा वाहन आरजे'–13 जीसी 0032 भी 1030 लीटर डीजल के अवैध कारोबार संलिप्त पाया गया है इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के **न्यायिक दृष्टान्त कलक्टर गंजम व अन्य बनाम रमेश चन्द्र पांधी 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 के अनुसार वाहन राजसात** करने की दशा में वाहन के एवज में वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जा सकता है। और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार जब्तशुदा जब्तशुदा वस्तु के मूल्य तक भी वाहन राजसात की एवज में जुर्माना लगाया जा सकता है। अतः उक्त वाहन राजसात की एवज में डीजल के मूल्य के सामान रशि 74006/– रूपये का जुर्माना आरोपित किया जाता है और यदि वाहन स्वामी 74006/– रूपये जुर्माना के रूप में जमा करवा देता

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

है तो सम्बन्धित थानाधिकारी, सूरतगढ उक्त वाहन को नियमानुसार वाहन स्वामी को सुर्पुद कर देवें अन्यथा नियमानुसार **वाहन को विक्रय किया जाकर राशि स्थाई रूप से राजकोष में जमा करवाई जावे। उक्त जुर्माना राशि डीजल विक्रय राशि के अतिरिक्त** है। चूंकि पूर्व में डीजल के अन्तरिम निस्तारण के आदेश थानाधिकारी, सूरतगढ को दिये जा चुके है। इसलिए थानाधिकारी, सूरतगढ को आदेश दिया जाता है कि डीजल की पूर्व विक्रय राशि एवं उक्त वाहन की जुर्माना/नीलामी राशि नियमानुसार स्थाई रूप से राजकोष में जमा करवाई जावे। आदेश की प्रति थानाधिकारी, सूरतगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद मदन नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर